मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 1 अप्रैल 2023

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-3
III. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
IV. वित्तीय समावेशन और विकास	3
V. प्रकाशन	4
VI. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य, 6 अप्रैल 2023

वर्ष 2023 की शुरुआत एक नई आशा के साथ हुई, क्योंकि आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो रहा था, आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई थी, वित्तीय बाज़ारों ने अधिक आशावाद का संचार किया और केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आसान उतराई (सॉफ्ट लैंडिंग) की ओर ले जा रहे थे। मार्च के दौरान कुछ ही सप्ताह में, इस स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल से नई विपरीत परिस्थितियों के साथ अशांति के एक नए चरण का सामना कर रही है। बैंक विफलताओं और संक्रामक जोखिम ने वित्तीय स्थिरता के मुद्दों को सबसे आगे ला दिया है। मुद्रास्फीति में दृढ़ता को देखते हुए, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति में सख्ती को जारी रख रहे हैं, यद्यपि धीमी गति से। हाल के महीनों में विश्व स्तर पर मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन लक्ष्य तक इसका पहुंचाना दीर्घकालिक और कठिन प्रतीत हो रहा है। 6 अप्रैल 2023 को घोषित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने पहले मौद्रिक नीति वक्तव्य में ये गवर्नर की शुरुआती टिप्पणियां थीं।

इस अलावा गवर्नर ने अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन के उद्धरण का उल्लेख किया कि "अनिश्चितता मौद्रिक नीति परिदृश्य की परिभाषित विशेषता है।" उन्होंने आज की स्थिति की तुलना में बहुत अधिक संतुलन के युग में और अधिक सामान्य समय में यह बात कही थी। आज हम जो देख रहे हैं वह भू-राजनीति, आर्थिक गतिविधियों, मूल्य दबावों और वित्तीय बाज़ारों में अभूतपूर्व अनिश्चितता है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज के विश्व में केंद्रीय बैंकों और अन्य नीति निर्माताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के परिमाण की कल्पना की जा सकती है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 3, 5 और 6 अप्रैल 2023 को हुई और इसमें समष्टि आर्थिक स्थिति और इसकी संभावना का मूल्यांकन किया गया। इस बैठक में आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई हेतु तैयार रहने के साथ नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रेपो दर पर विराम लगाने का निर्णय केवल इसी बैठक के लिए है।

अब मैं नीतिगत दर और रुख पर इन निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क के बारे में बताना चाहूंगा। जबकि हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक वैश्विक आर्थिक गतिविधि में कुछ सुधार की ओर इशारा करते हैं, संभावना अब वित्तीय स्थिरता चिंताओं के अतिरिक्त अधोगामी जोखिम के कारण कम हो गई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो रही है लेकिन केंद्रीय बैंकों के लक्ष्यों से काफी ऊपर है। इन घटनाक्रमों ने वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता को बढ़ा दिया है, जो बॉण्ड प्रतिफल में बड़े पैमाने पर दोतरफा उतार-चढ़ाव, इक्विटी बाज़ारों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर के सितंबर 2022 के अपने चरम स्तर से गिरावट के रूप में परिलक्षित होता है।

इस अस्थिरता के बीच, भारत में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्र मजबूत बने हुए हैं तथा वित्तीय बाज़ार एक व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए हैं। आर्थिक गतिविधि आघात-सह बनी हुई है और 2022-23 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर 7.0 प्रतिशत रहने की आशा है। तथापि, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 से बढ़ी है, जो अनाज, दूध और फलों में कीमतों के दबाव से प्रेरित है। मूल मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 अप्रैल 2023 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि:

i) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। तदनुसार, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

ii) निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन और पर्यवेक्षण; और (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. वित्तीय बाजार

1. एक तटीय (ऑनशोर) गैर- प्रदेय (नॉन-डिलीवरेबल) व्युत्पन्नी बाज़ार विकसित करना

भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) का परिचालन करने वाले बैंकों को 1 जून 2020 से अनिवासियों और एक दूसरे के साथ भारतीय रुपया (आईएनआर) गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी) में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी। तटीय आईएनआर एनडीडीसी को विकसित करने और निवासियों को उनके हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिज़ाइन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि आईबीयू वाले बैंकों को तटीय बाज़ार में निवासी उपयोगकर्ताओं को आईएनआर एनडीडीसी प्रदान करने की अनुमति दी जाए। इन बैंकों के पास अपने एनडीडीसी लेनदेन को अनिवासियों के साथ और एक दूसरे के साथ विदेशी मुद्रा या आईएनआर में निपटान की सुविधा होगी, जबकि निवासियों के साथ लेनदेन का निपटान अनिवार्य रूप से आईएनआर में होगा। संबंधित निदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

2. विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को लाइसेंस/ प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को समय-समय पर विभिन्न संविधियों/ विनियमों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक से कतिपय विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, इसके लिए आवेदन और अनुमोदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय- सीमा के भीतर वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा अनुपालन की लागत को सरल, आसान और कम करने की अपेक्षा की घोषणा की गई है। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि 'PRAVAAH' (विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच) नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया जाए, जो उत्तरोत्तर सभी कार्यों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु लागू होगा।

3. अदावी जमाराशियों को खोजने के लिए जनता के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करना

किसी बैंक में 10 वर्षों तक अदावी जमाराशि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरक्षित "जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता" (डीईए) निधि में अंतरित कर दिया जाता है। चूंकि जमाकर्ताओं का संरक्षण एक व्यापक उद्देश्य है, भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि नई जमाराशियाँ अदावी न हों और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद वर्तमान अदावी जमाराशि सही मालिक या लाभार्थियों को वापस कर दी जाएं। दूसरे पहलू पर, बैंक अदावी जमाराशियों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आंकड़ों तक जमाकर्ताओं/ लाभार्थियों की पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है ताकि उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर संभावित अदावी जमाराशि के लिए कई बैंकों में खोज की जा सके। कुछ एआई उपकरणों के उपयोग से खोज परिणामों में सुधार आएगा।

4. साख संस्थाओं द्वारा साख सूचना रिपोर्टिंग तथा साख सूचना कंपनियों द्वारा प्रदान की गई साख सूचना से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र

साख सूचना रिपोर्टिंग और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों में वृद्धि के कारण, यह निर्णय लिया गया है कि साख संस्थानों (सीआई) और सीआईसी द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता को मजबूत करने और सुधारने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार किया जाए। इस प्रयोजन के लिए, सीआईसी को रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) के तत्वावधान में लाया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित उपायों को लागू करने का भी प्रस्ताव है: साख सूचना के अद्यतन/सुधार में विलंब के लिए एक मुआवजा तंत्र; ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल अलर्ट का प्रावधान जब भी उनकी साख सूचना को सीआईसी से एक्सेस किए जाते हैं; साख संस्थाओं से सीआईसी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को शामिल करने की समय-सीमा; और सीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त ग्राहक शिकायतों की संख्या और प्रकृति से संबंधित प्रकटीकरण। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

5. यूपीआई के माध्यम से बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्था का संचालन

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक सुदृढ़ भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसमें कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में भारत में डिजिटल भुगतान का 75% भुगतान इसके माध्यम से किया जाता है। भारत के भुगतान डिजिटलीकरण लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादों और सुविधाओं को विकसित करने के लिए यूपीआई प्रणाली का उपयोग किया गया है। हाल ही में, रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में, यूपीआई लेनदेन बैंकों में जमा खातों के बीच किए जाते हैं, कभी-कभी वॉलेट सहित प्री-पेड उपकरणों द्वारा मध्यस्थता की जाती है। अब जमा खातों के अलावा, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत ऋण व्यवस्थाओं को/से अंतरण को सक्षम करके यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, यूपीआई नेटवर्क बैंकों से ऋण द्वारा वित्तपोषित भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा। यह इस तरह की व्यवस्थाओं की लागत को कम कर सकता है और भारतीय बाजारों के लिए विशिष्ट उत्पादों के विकास में मदद कर सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 42वीं बैठक 3, 5 और 6 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 20 अप्रैल 2023 को, अर्थात् मौद्रिक नीति समिति की बैठक के 14वें दिन बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त प्रकाशित किए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

सीआईसी का पंजीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 अप्रैल 2023 को पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और झंझट-मुक्त बनाने के लिए मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदनों के प्रक्रिया की प्रणाली की व्यापक समीक्षा की। तदनुसार, आवेदन पत्र को मौजूदा सीआईसी विनियमों के साथ संरचित और संरेखित करने के लिए नया रूप दिया गया है। साथ ही, पंजीकरण प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या को 52 दस्तावेजों के मौजूदा सेट से घटाकर 18 कर दिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग

रिज़र्व बैंक ने 10 अप्रैल 2023 को विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए विस्तृत मानदंडों को अंतिम रूप दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था ग्राहकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और देयताओं को कम नहीं करती है। इन निदेशों का अंतर्निहित सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था ग्राहकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए न तो आरई की क्षमता को कम करती है और न ही केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण को बाधित करती है। अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त समय प्रदान करने की दृष्टि से, मानदंड 1 अक्तूबर 2023 से प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

हरित जमाराशियों की स्वीकार करना

रिज़र्व बैंक ने 11 अप्रैल 2023 को विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए हरित जमाराशियों की स्वीकृति हेतु एक ढांचा तैयार किया। इस ढांचे का उद्देश्य/औचित्य आरई द्वारा ग्राहकों को हरित जमाराशियों के लिए प्रोत्साहित करना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, ग्राहकों को उनके सतत एजेंडा को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, ग्रीनवाशिंग चिंताओं को दूर करना और हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करना है। आरई संचयी/गैर-संचयी जमाराशि के रूप में हरित जमाराशियों को जारी करेंगे। ये जमाराशियां केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित होंगी। यह ढांचा 1 जून 2023 से लागू होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

सीसीवाईबी की आवश्यकता की समीक्षा

5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों, जिसमें यह सूचित किया गया था कि प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) को उन परिस्थितियों में सक्रिय किया जाएगा, जब इसकी आवश्यकता होगी, के अनुसार रिज़र्व बैंक ने 20 अप्रैल 2023 को सीसीवाईबी की रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा में मुख्य संकेतक के रूप में ऋण की तुलना में जीडीपी अंतराल की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य अनुपूरक संकेतकों के साथ किया जा सकता है। सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

यूसीबी द्वारा मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण

रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल 2023 को सभी श्रेणियों की प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, संशोधित ढांचे में उनके टियर से निरपेक्ष, पर लागू मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों को सुसंगत बनाया। तदनुसार, संशोधित ढांचे के अंतर्गत टियर I, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 यूसीबी पर लागू होने वाले मानक आस्ति प्रावधानीकरण मानदंड निम्नानुसार होंगे:

i) कृषि और एसएमई क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष अग्रिम, जो मानक हैं, पोर्टफोलियो आधार पर बकाया निधि के 0.25 प्रतिशत की एक समान प्रावधानीकरण अपेक्षा को पूरा करेंगे।

ii) वाणिज्यिक भूसंपदा (सीआरई) क्षेत्र के लिए अग्रिम, जो मानक हैं, पोर्टफोलियो आधार पर बकाया निधि के 1.00 प्रतिशत की एक समान प्रावधानीकरण अपेक्षा को पूरा करेंगे।

iii) वाणिज्यिक भूसंपदा - आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के अग्रिम, जो मानक हैं, के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा 0.75 प्रतिशत होगी।

iv) अन्य सभी अग्रिमों के लिए, बैंक पोर्टफोलियो आधार पर बकाया निधि के न्यूनतम 0.40 प्रतिशत का एक समान सामान्य मानक आस्ति प्रावधानीकरण बनाए रखेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें ।

III. विदेशी मुद्रा प्रबंध

एपीकनेक्ट

रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2023 को अधिसूचित किया कि संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफ़एफ़एमसी), गैर-बैंक एडी श्रेणी-II के लाइसेंस के आवेदन के प्रसंस्करण, एमटीएसएस एजेंट के रूप में प्राधिकरण, मौजूदा लाइसेंस/ प्राधिकरण के नवीनीकरण करने, मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने और एफएफएमसी और गैर-बैंक एडी श्रेणी II द्वारा विभिन्न विवरण/ विवरणी प्रस्तुत करने के लिए 'एपीकनेक्ट' नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन 'https://apconnect.rbi.org.in/entity' पर उपलब्ध है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करना

रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2023 को एडी श्रेणी-II संस्थाओं को फॉर्म ए2 ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति दी। एडी श्रेणी-II संस्थाएं वर्तमान सांविधिक और विनियामक ढांचे के अंतर्गत अपने बोर्ड के अनुमोदन से उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करेंगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आईएफ़एससी को विप्रेषण

रिज़र्व बैंक ने 26 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को संरेखित करने के उद्देश्य से दिनांक 16 फरवरी 2021 के परिपत्र ए.पी. (डीआईआर शृंखला) के पैरा 2 (ii) में 'एलआरएस के अंतर्गत उपरोक्त अनुमेय निवेश करने के लिए निवासी व्यक्ति आईएफएससी में एक विदेशी मुद्रा खाता (एफसीए) भी खोल सकते हैं' संशोधन किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय समावेशन और विकास

सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 25 अप्रैल 2023 को सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) संबंधी निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया:

i.अब से जीसीसी योजना को "सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा" कहा जाएगा।

ii. ये निर्देश उन सभी बैंकों पर लागू होंगे जो उपरोक्त मास्टर निदेश के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पात्र हैं।

iii.ऐसे व्यक्ति/संस्थाएं जिन्हें गैर-कृषि उद्यम संबंधी गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं की स्वीकृति दी गई हैं, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं।

iv.जीसीसी समय-समय पर यथा अद्यतन उपरोक्त मास्टर निदेश की शर्तों के अनुरूप क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा।

v.जीसीसी के रूप में प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के नियम और शर्तें, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र ढांचे के भीतर बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होंगी। सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण पर समय-समय पर जारी दिशानिर्देश लागू होंगे।

vi.बैंक समय-समय पर रिज़र्व बेंक द्वारा जारी किए गए जीसीसी डेटा की रिपोर्टिंग पर अनुदेशों का पालन करेंगे।

ये निर्देश दिसंबर 2013 में जारी जीसीसी दिशानिर्देशों को अधिक्रमित करेंगे और 25 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। 2013 के परिपत्र के अंतर्गत पूर्व में जारी किए गए डेबिट कार्ड, यदि कोई हैं, तो उनकी समाप्ति/मौजूदा ऋण सुविधाओं की चुकौती, जो भी पहले हो, तक वैध रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. प्रकाशन

मौद्रिक नीति रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2023 को अप्रैल 2023 को समाप्त छमाही के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) प्रकाशित की। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएम के अंतर्गत बैंक प्रत्येक छह महीने में एक बार एमपीआर प्रकाशित करता है। रिपोर्ट को निम्न 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है:

i) समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण,
ii) मूल्य और लागत,
iii) मांग और उत्पादन,
iv) वित्तीय बाजार और चलनिधि स्थितियां और
v) बाह्य परिवेश

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2023 माह के दौरान निम्नलिखित 3 वर्किंग पेपर जारी किए:

i) हरिद्वार यादव, विशाल शिंदे और समीर कुमार दास द्वारा 11 अप्रैल 2023 को **'लाभप्रदता पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रभाव - भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र से साक्ष्य'** शीर्षक से वर्किंग पेपर प्रकाशित किया गया। इस पेपर में अनुभवजन्य रूप से भारतीय कंपनियों की पूंजी संरचना और लाभप्रदता पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभाव का आकलन किया गया है। 2013-14 से 2018-19 तक प्रोवेस डेटाबेस से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर डेटा के साथ एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियों पर रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों से डेटा लेकर बनाए गए एक मल्टीवेरिएट जीएमएम पैनल रिग्रेशन मॉडल और एक नए पैनल डेटासेट का उपयोग करते हुए, पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इक्विटी में एफडीआई की हिस्सेदारी में वृद्धि, एफडीआई प्राप्त करने वाली कंपनियों की लाभप्रदता को बढ़ाती है।

ii) पूर्णिमा शॉ द्वारा 18 अप्रैल 2023 को **'उपभोक्ताओं के मन को पढ़ना – मुद्रास्फीति की प्रत्याशा का विश्लेषण'** शीर्षक से वर्किंग पेपर प्रकाशित किया गया। परिवारों के उपभोग समूह में विषमता को प्रायः हेडलाइन मुद्रास्फीति संख्या से परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में विचलन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस पेपर में, विषम जनसंख्या उपभोग समूह की अनुरूपता करके और समूह का नमूना लेकर औसत मुद्रास्फीति का अनुमान लगाकर इसे सत्यापित करने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है।

iii) सौरज्योति सरदार, अनिर्बन सान्याल और तुषार बी दास द्वारा 24 अप्रैल 2023 को **'क्या कोविड-19 ने परिवारों को अलग तरह से प्रभावित किया? उपभोक्ता विश्वास में विविधता को समझना'** शीर्षक से वर्किंग पेपर प्रकाशित किया गया। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण से घरेलू-स्तरीय डेटा के अव्यक्त वर्ग विश्लेषण को लागू करते हुए, यह पेपर भारतीय परिवारों पर कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के विषम प्रभाव को पांच मापदंडों, अर्थात् आर्थिक स्थिति, रोजगार, मूल्य स्तर, आय और व्यय पर उनकी वर्तमान धारणाओं और भविष्य की संभावना के आकलन के संदर्भ में सामने लाता है।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 3 अप्रैल 2023 को श्री नीरज निगम को कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया। कार्यपालक निदेशक के रूप में, श्री निगम निम्न कार्यभार संभालेंगे:

i) उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग,
ii) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग,
iii) विधि विभाग और
iv) सचिव विभाग।

आरबीआई बुलेटिन - अप्रैल 2023

रिज़र्व बैंक ने 21 अप्रैल 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का अप्रैल 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में 6 अप्रैल 2023 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, अप्रैल 2023 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट, एक भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। ये पांच आलेख हैं:

i)अर्थव्यवस्था की स्थिति: वित्तीय स्थितियों में अस्थिरता और वित्तीय बाज़ार में उथल-पुथल के कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ उच्च अनिश्चितता से घिरी हैं। भारत में, संपर्क-गहन सेवाओं में तेजी के कारण सकल मांग की स्थिति दृढ़ बनी हुई है। रबी-फसल की उच्च आमद प्रत्याशा, अवसंरचना पर राजकोषीय बल और चुनिंदा क्षेत्रों में कॉर्पोरेट निवेश में पुनरुद्धार, अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं।

ii) माइकल देबब्रत पात्र, जॉइस जॉन और आशीष थॉमस जॉर्ज द्वारा लिखित मुद्रास्फीति में नवीन व्यवस्थागत बदलाव: भारत का अनुभव। यह आलेख भारत में मुद्रास्फीति में हाल के व्यवस्थागत परिवर्तनों की जांच करता है।

iii) देब प्रसाद रथ, बिचित्रानंद सेठ, समीर रंजन बेहरा और अनूप के सुरेश द्वारा लिखित भारतीय राज्यों का पूंजी परिव्यय: इसकी भूमिका और निर्धारकों का तथ्यपरक आकलन। यह आलेख राज्यों के पूंजीगत परिव्यय और सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के बीच संबंधों की जांच करता है, साथ ही उन कारकों की भी पहचान करता है जो राज्यों के पूंजीगत परिव्यय निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

iv) श्रुति जोशी और राखी पी. बालचंद्रन द्वारा लिखित औद्योगिक संबंध संहिता और श्रम उत्पादकता: एक देशांतर अधिविश्लेषण। अधि-प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करते हुए, यह आलेख, देशों में श्रम उत्पादकता पर निश्चित अवधि के रोजगार (एफ़टीई) के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

v)दीपक आर. चौधरी, आकांक्षा हांडा, प्रियंका उप्रेती और सौरभ घोष द्वारा लिखित भारत में स्थावर-संपदा क्षेत्र की गतिविधि का एक समग्र संकेतक। इस आलेख का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के उच्च-आवृत्ति संकेतकों और एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके एक स्थावर-संपदा क्षेत्र गतिविधि संकेतक का निर्माण कर, सूचना अभाव को कम करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. जारी आंकड़े

रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2023 माह के दौरान जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र.	विषय
1	बैंक ऋण सर्वेक्षण, 2022-23 कीचौथी तिमाही
2	समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण
3	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
4	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
5	मार्च 2023 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
6	रिज़र्व बैंक- देयताएं और आस्तियां
7	रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर की बिक्री/खरीद
8	24 अप्रैल 2023 को बकाया भारत सरकार की प्रतिभूतियों की सूची
9	भुगतान संतुलन (2023-2024)

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।